

संख्या 31011/2/2006-स्था.(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
* * *

नई दिल्ली, दिनांक : 9 सितम्बर, 2009

कार्यालय जापन

विषय :- छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लेते समय विमान से की जाने वाली यात्रा के विनियमन के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27.07.2009 के समसंख्यक कार्यालय जापन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 07.09.2009 का कार्यालय जापन सं. 7(1) ई समन्वय/2009 के जारी होने के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत पर विभाग यात्रा से हुए व्यय की प्रतिपूर्ति तत्काल प्रभाव से हकदारी की श्रेणी के बजाय इकॉनामी क्लास से की गई छुट्टी यात्रा के किराए तक सीमित होगी।

(सी. ए. सुब्रमणियम)
निदेशक (ई.।।)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (प्रतियों की सामान्य संख्या के साथ)

प्रतिलिपि:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
6. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
7. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
10. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
11. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
12. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय
13. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सभी कार्यालय एवं अनुभाग
14. वेबसाइट अनुभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
15. सुविधा केंद्र, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-25 प्रतियां।